

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01062022-236195  
SG-DL-E-01062022-236195

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]	दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 103
No. 303]	DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISTHA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 103

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 5 मई, 2022

फा.सं. 126/स्वा0 एवं परि0कल्या0/2021/परिषद/डीएनसी/सीडी#112638746/288-294.—  
दिल्ली नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1997 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 3) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली नर्सिंग परिषद नियमावली, 2001 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:—

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—

1.(i) इन नियमों को दिल्ली नर्सिंग परिषद (संशोधन) नियमावली, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2.नियम 10 का संशोधन :— दिल्ली नर्सिंग परिषद नियमावली, 2001 में नियम 10 के लिए "10.पंजीकरण एवं भर्ती:—  
प्रत्येक व्यक्ति जो परिषद के साथ पंजीकरण कराने का इच्छुक है उसे प्रपत्र सं0 1 में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा तथा शुल्क का भुगतान करना होगा:—"निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	प्रयोजन	संशोधित शुल्क
1.	प्रथम पंजीकरण – बी0एस0सी0	2000
2.	प्रथम पंजीकरण – जी0एन0एम0	2000
3.	प्रथम पंजीकरण – ए0एन0एम0	1000
4.	पुनः पंजीकरण – बी0एस0सी0	1000
5.	पुनः पंजीकरण – जी0एन0एम0	1000
6.	पुनः पंजीकरण – ए0एन0एम0	1000
7.	पुनः पंजीकरण – आर0एन0	1000
8.	पुनः पंजीकरण – आर0एम0	1000
9.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	500
10.	नवीकरण जी0एन0एम0, बी0एस0सी0, आर0एन0, आर0एम0	500
11.	ए0एन0एम0 नवीकरण	500
12.	दस्तावेजों का सत्यापन	500
13.	स्थानान्तरण प्रमाण –पत्र	200
14.	अतिरिक्त योग्यता	1000
15.	पुनः सक्रिय कराना जी0एन0एम0, बी0एस0सी0, आर0एन0, आर0एम0	1000
16.	पुनः सक्रिय कराना ए0एन0एम0	1000
17.	विदेशी सत्यापन / गुड स्टैंडिंग प्रमाण –पत्र	4000 / –रूपये + डाक प्रभार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर.के. मीणा, उप सचिव

## HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 5th May, 2022

**F. No. 126/H&FW/2021/Council/DNC/CD#112638746/288-294.**— In exercise of the powers conferred by section 34 of Delhi Nursing Council Act, 1997 (Delhi Act No.3 of 1999), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to amend the Delhi Nursing Council Rules, 2001 as under:

Short Title and Commencement:-

- (i) These Rules may be called the Delhi Nursing Council (Amendment) Rules, 2021.  
(ii) They shall come into the force with effect from the date of their publication in the official Gazette.
- Amendment of Rule 10:- In the Delhi Nursing Council Rules, 2001 for Rule 10, “10. Registration and Enlistments:- Every person who desires to get registered with the Council shall apply for registration in Form No. 1 and shall pay a fees:-” the following rule shall be substituted namely:-

S.No.	Purpose	Revised fee
1.	First Registration- B.Sc.	2000
2.	First Registration- GNM	2000

3.	First Registration- ANM	1000
4.	Re-Registration- B.Sc	1000
5.	Re- Registration- GNM	1000
6.	Re- Registration- ANM	1000
7.	Re-Registration-RN	1000
8.	Re-Registration-RM	1000
9.	NOC	500
10.	Renewal GNM, B.Sc., RN,RM	500
11.	ANM Renewal	500
12.	Verification of Documents	500
13.	Migration Fee	200
14.	Additional Qualification	1000
15.	Reactivation GNM, B.Sc., RN,RM	1000
16.	Reactivation ANM	1000
17.	Overseas Verification/Good Standing Certificate	4000/- + postal charges

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

R.K. MEENA, Dy. Secy.